न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

पीठासीन अधिकारी : श्री जगदीश सिंह आशिया आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 241/2023

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. धनाराम पुत्र ताजाराम जाति जाट निवासी पायला कला तहसील सिणधरी		1. तहसीलदार (भू.अ.) सिणधरी 2. पुनमाराम पुत्र. ताजाराम जाति जाट निवासी पायला कला तहसील सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. श्री जोगराज पोटलिया वकील प्रार्थीगण उपस्थित।
2. नायब तहसीलदार (उपखण्ड कार्यालय)राज.पैरोकार विप्रार्थी सं. 1 की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक– 06.03.2025

1.संक्षेप में आवेदन पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि पक्षकारान की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 612/1, 780/612, 779/612 रकबा क्रमशः 3.3574, 3.2844,0.0730 हैक्टयर भूमि ग्राम पायला कला पटवार मण्डल पायला कला तहसील सिणधरी में अवस्थित है, जो मूल खसरा नम्बर 612 का बंटवाड़ा व रास्ता होने पर बटा संख्या पड़े। जिस पर प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा रहवासी ढाणी, टांके, चारबाड़े आदि बने हुए है, पक्ष्रकारान द्वारा उक्त खसरों का बटवाड़ा कराने पर जो ना.क.सं. दायर किया गया, जिसमें तरमीम कब्जे काश्त अनुसार नही कर उसके विपरीत कर दी गई। इस प्रकार विपरीत तरमीम होने के कारण प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो रही है। अतः विवादित भूमि की मौका कब्जा स्थिति [illegible] तरमीम दुरूस्ती करवानें हेतु यह आवेदन पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:14:12 IST
Reason: SelfAttested

2 प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। [illegible]र्थी संख्या 01 की [illegible] नायब तहसीलदार(उपखण्ड कार्यालय) राज.पैरोकार उपस्थित हुए। विवादित भूमि की मौका जांच रिर्पोट तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

3.उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्य को दोहराते हुए कथन किया,कि पक्षकारान की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 612/1, 780/612, 779/612 रकबा क्रमशः 3.3574, 3.2844,0.0730 हैक्टयर भूमि ग्राम पायला कला पटवार मण्डल पायला कला तहसील सिणधरी में अवस्थित है, जो मूल खसरा नम्बर 612 का बंटवाड़ा व रास्ता होने पर बटा संख्या पड़े। जिस पर प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा रहवासी ढाणी, टांके, चारबाड़े आदि बने हुए है, पक्षकारान द्वारा उक्त खसरों का बटवाड़ा कराने पर जो ना.क.सं. दायर किया गया, जिसमें तरमीम कब्जे काश्त अनुसार नही कर उसके विपरीत कर दी गई। इस प्रकार विपरीत तरमीम होने के कारण प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो रही है। अपनी बहस को जारी रखतें हुए आगे ओर कथन किया कि तहसीलदार सिणधरी ने अपनी मौका जांच रिपोर्ट में तरमीम दुरुस्ती करने की सिफारिश की गई है। जो तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार विवादित भूमि की लटढा नक्शा में तरमीम दुरुस्ती करवानें का आदेश फरमावें।

4.विप्रार्थी की ओर से राज.पैरोकार नायब तहसीलदार ने अपनी बहस में जाहिर किया,कि तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

5.हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,दस्तावेजात एवं मौका जांच रिर्पोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया पक्षकारान की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 612/1, 780/612, 779/612 रकबा क्रमशः 3.3574, 3.2844,0.0730 हैक्टयर भूमि ग्राम पायला कला पटवार मण्डल पायला कला तहसील सिणधरी में अवस्थित है, जो मूल खसरा नम्बर 612 का बंटवाड़ा व रास्ता होने पर बटा संख्या पड़े। जिस पर प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा रहवासी ढाणी, टांके, चारबाड़े आदि बने हुए है, पक्षकारान द्वारा उक्त खसरों का बटवाड़ा कराने पर जो ना.क.सं. दायर किया गया, जिसमें तरमीम कब्जे काश्त अनुसार नही कर उसके विपरीत कर दी गई। तथा तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत लटढा नक्शा में तरमीम हो रखी है,जो कि गलत तरमीम हो रखी है। जिसकी पुष्टि तहसीलदार सिणधरी की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 23.12.2024 से होता है,इस प्रकार प्रार्थीगण के मौके पर कब्जा काश्त से विपरीत तरमीम होनें के कारण पक्षकारान को अपूरणीय क्षति भी हो रही है,जबकि पक्षकारान का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार ही राजस्व रिकॉर्ड नक्शा लटढा में तरमीम होनी चाहिए। ताकि राजस्व रिकॉर्ड की एकरूपता बनी रहें और तहसीलदार सिणधरी ने भी अपनी मौका जांच रिर्पोर्ट में मौका स्थिति के अनुसार तरमीम [illegible] करने की अनुशंषा की गई है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है,कि विवा[illegible] काश्त के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड नक्शा लटढा में तरमी[illegible] मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार रिकॉर्ड में तरमीम दुरूस्त करवानें के हकदार है। [illegible]सी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:14:12 IST
Reason: SelfAttested

6. लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम व पटवार मण्डल पायला कला तहसील सिणधरी की मूल खेत खसरा संख्या 612 से विभक्त होकर कायम हुए नवीन खसरा नम्बरान् भूमि

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

की विदयमान तरमीम निरस्त की जाकर तहसीलदार सिणधरी की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 23.12.2024 के संलग्न प्रस्तावित नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्त करने के आदेश पारित किये जातें हैं,उक्त नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सिणधरी को तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम दुरूस्ती सुनिश्चित करनें हेतु आदेशित किया जाता है।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 06.03.2025 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:14:12 IST
Reason: SelfAttested